झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक :   दिनांक :

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषयः– राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 का चौपारण ब्लॉक, (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक 2790 दिनांक 26.05.2016 एवं आपका पत्रांक 1595 दिनांक 15.06.2016 तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का पत्रांक 1919 दिनांक 01.08.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 का चौपारण ब्लॉक, (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के धारा 2 के तहत् ऑन लाईन आवेदन/प्रस्ताव संख्या **FP/JH/Trans/17225/2015** नोडल पदाधिकारी–सह–प्रधान मुख्य वन सरंक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची के द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 2790 दिनांक 26.05.2016 द्वारा आपको अग्रसारित किया गया था। आपके प्रसांगिक पत्र संख्या 1595 दिनांक 15.06.2016 द्वारा सूचित किया गया कि समर्पित प्रस्ताव के नक्शों में त्रुटियां पाई गई हैं। त्रुटियों का सुधार कर संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया गया तथा सभी प्रस्ताव मूल रूप में इस कार्यालय को वापस किया गया। तदनुसार आपके आदेशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक 3280 दिनांक 20.06.2016 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को पत्र लिखकर संशोधित प्रस्ताव की मांग की गई।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का पत्रांक 1919 दिनांक 01.08.2016 द्वारा संशोधित कैडस्ट्रल ग्राम मानचित्र समर्पित किया गया है, जिसमें वर्तमान प्रस्तावित वनभूमि को हरे रंग से दर्शाया गया है, पूर्व अपयोजित वन भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है, तथा प्रस्तावित गैर वनभूमि को काले रंग से दर्शाया गया है। समर्पित मानचित्र का मिलान प्रमण्डलीय अभिलेखों से किया गया एवं सही पाया गया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि चौपारण मौजा के चमारागडहा टोला में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निवासियों को वन पट्टा निर्गत किया गया है जिसकी सूची संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन का मिलान प्रमण्डलीय अभिलेखों से करने के पश्चात यह स्पष्ट हुआ की चौपारण मौजा के चमारागडहा टोला के प्रस्तावित प्लॉट संख्या 35 में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निवासी भरत मुण्डा, सोहन मुण्डा, नीता मुण्डा एवं बाले मुण्डा को वन पट्टा निर्गत है, तथा सूची मे वर्णित अन्य निवासी

को वन पट्टा चौपारण मौजा के चमारागड़हा टोला के प्लॉट संख्या 4 एवं 6 में निर्गत है, जो विषयांकित ट्रांसमिशन लाईन क्षेत्र में नहीं पडता है।

अतः मूल प्रस्ताव सात–सात प्रतियों में संशोधित मानचित्र के साथ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्रांक 2790 दिनांक 26.05.2016 द्वारा भेजे गए अनुपालन प्रतिवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,
ह0/–

<u>अनुलग्नकः– यथोक्त।</u>

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक,–सह– कार्यकारी निर्देशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक 4484 दिनांक 06/8/16

प्रतिलिपि विद्युत कार्यापालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हजारीबाग को उनके पत्रांक 1919 दिनांक 01.08.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित्।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

Proposal forward to CF (FCA Folder)final